

कार्यालय आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 4 (406) आयो./आकाशि /शै0का./09/45। दिनांक 22 अक्टूबर, 2009

समस्त प्राचार्य,  
राजकीय महाविद्यालय,  
राजस्थान ।

विषय :- सत्र 2009-10 का शैक्षणिक कार्य भार भिजवाने बाबत।

प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। सत्र 2009-10 में जारी प्रवेश नियमों की अनुपालना करते हुये शैक्षणिक कार्यभार को औचित्य के आधार पर विषय वार निर्धारित प्रपत्रों में सूचना दिनांक. 31 अक्टूबर 2009 तक आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें ।

शैक्षणिक कार्यभार भेजते समय कार्यभार को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत नहीं किया जावे। शैक्षणिक कार्यभार संलग्न निर्देशानुसार वास्तविक ही भेजें। उक्त शैक्षणिक कार्यभार की जाँच करते समय विवरण गलत या अपूर्ण पाये जाने पर प्राचार्य स्वयं जिम्मेदार होंगे।

आप द्वारा भेजे गये शैक्षणिक कार्यभार में किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं होगा।

आयुक्त

क्रमांक एफ 4 (406) लेखा /आकाशि /शै. का./09/452-55 दिनांक 22 अक्टूबर, 2009

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
3. संयुक्त निदेशक (प्रशासन/अकादमी), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
4. रक्षित पत्रावली।

22.10.09  
संयुक्त निदेशक

सत्र 2009-10 के शैक्षणिक कार्य भार (वर्क लोड) भेजने हेतु आवश्यक निर्देश

आपको अपने महाविद्यालय का सत्र 2009-10 का शैक्षणिक कार्यभार निम्नलिखित प्रपत्रों एवं सूचनाओं की एक-एक प्रति में दिनांक 31 अक्टूबर 2009 तक अनिवार्य रूप से भेजना है:-

1. शैक्षणिक कार्यभार सारांश (वर्क लोड समरी) प्रपत्र "अ"
2. विषयवार कार्यभार प्रपत्र "ब"
3. कक्षावार (क्लास वार्डज) समय सारणी प्रपत्र "स" I
4. कक्षावार (रूमवार्डज) समय सारणी प्रपत्र "स" II
5. विवरणिका
6. अध्ययनरत कुल छात्रों की संख्या प्रपत्र "द"
7. आपके महाविद्यालय में पढायें जाने वाले सभी विषयों का कार्यभार भिजवाया जाना आवश्यक है। चाहे किसी विषय में अतिरिक्त अध्यापक की आवश्यकता हो अथवा नहीं।
8. कार्यभार के सभी स्तम्भ पूर्ण रूप से सही व स्वच्छ भरे जाने चाहियें। अपूर्ण या आंशिक सूचना पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।
9. कार्यभार आंशिक रूप से न भेजकर सभी संकायों एवं विषयों का भेजा जावे।
10. प्रत्येक कक्षा में छात्रों की सही एवं वास्तविक संख्या का उल्लेख किया जावे तथा कार्यभार वास्तव में पढायें जा रहे प्रश्न पत्रों का हो। संभावित या प्रस्तावित प्रश्नपत्रों की गणना नहीं की जावे।
11. जिन व्याख्याताओं को वरिष्ठ वेतनमान एवं चयनित वेतनमान दिया गया है, उनका कार्यभार व्याख्याता के मानदण्ड के अनुसार माना जावे।
12. ट्यूटोरियल कक्षाएँ एवं लघु शोध को कार्यभार में सम्मिलित नहीं किया जावे। केवल कक्षाओं में पढाये जाने वाले कालांशों को ही गिना जावे।
13. जिन विषयों में आनर्स कक्षाएँ है, उन छात्रों के लिए सहायक विषय की पृथक कक्षा नहीं लगावे। उन्हें पास कोर्स के छात्रों के साथ ही अध्ययन कराया जावे।
14. अगर किसी विषय में व्याख्याता अधिशेष हो तो तत्काल सूचित करें।
15. कक्षा/विषय/प्रश्नपत्र से न्यूनतम छात्र संख्या प्रवेश नियमों के अनुसार ही मान्य होगी।
16. किसी विषय में वैकल्पिक प्रश्नपत्र का कार्य भार निदेशालय द्वारा उन प्रश्नपत्र को चालू करने की स्वीकृति पर ही माना जावेगा।
17. राज्य सरकार के आदेशानुसार स्नातक स्तर पर भूगोल विषय में प्रायोगिक कार्य हेतु एक बैच 40 छात्रों का रखा जावे, जिसे प्रति सप्ताह 4 कालांश अर्थात् दो कालांश दो दिन प्रायोगिक कार्य कराया जावे।
18. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित व्यवसायिक पाठ्यक्रम का शैक्षणिक कार्यभार अलग से प्रस्तुत करें। इसें शैक्षणिक कार्यभार में सम्मिलित नहीं किया जाता है।
19. स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढाने वाले प्राध्यापकों की संख्या प्रभारी को सम्मिलित करते हुये कला एवं वाणिज्य संकाय के विषयों में अधिकतम 6 तथा विज्ञान संकाय के विषयों में अधिकतम 8 माना जावे।

नोट:-

स्ववित्तपोषी योजना के अन्तर्गत संचालित विषयों/संकाय/सीटों का शैक्षणिक कार्य भार सम्मिलित नहीं किया जावे।

महाविद्यालय का नाम.....

कक्षा	कक्षा में छात्रों की संख्या	संबंधित विषयों में छात्रों की संख्या	वर्गों की संख्या	पेपरों की संख्या	कुल शैक्षणिक कार्यभार	
					सैद्धान्तिक	प्रायोगिक
1	2	3	4	5	6	7
अंग्रेजी अनिवार्य						
हिन्दी अनिवार्य						
स्नातक पार्ट -I						
स्नातक पार्ट -II						
स्नातक पार्ट -III						
स्नातक पार्ट-I आनर्स						
स्नातक पार्ट -II आनर्स						
स्नातक पार्ट -III आनर्स						
स्नातकोत्तर पूर्वाह्न						
स्नातकोत्तर उत्तराह्न						

उक्त विषय के प्राचार्य / उपाचार्य व्याख्याताओं के कुल स्वीकृत पदों की संख्या				कार्यरत अधिकारियों के नाम	वर्तमान स्टाफ द्वारा राज्य सरकार के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कुल सम्पादित शैक्षणिक कार्यभार
प्राचार्य	उपाचार्य	विभागाध्यक्ष	व्याख्याता		
8	9	10	11	12	13

अतिरिक्त कालांश	अतिरिक्त आवश्यक स्टाफ की संख्या	अधिशेष स्टाफ की संख्या	स्नातकोत्तर स्तर पर पढाये जाने वाले पेपरों के नाम		विभागाध्यक्ष / व्याख्याता का नाम, आवंटित पेपर टाईटल सहित	विशेष विवरण
			पूर्वाह्न	उत्तराह्न		
14	15	16	17	18	19	20

नोट:-शैक्षणिक कार्यभार के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रकार से मापदण्ड निर्धारित है (प्रत्येक कालांश 60 मिनट्स का है)

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. प्राचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालय         | 5 कालांश प्रति सप्ताह  |
| 2. प्राचार्य, स्नातक महाविद्यालय              | 7 कालांश प्रति सप्ताह  |
| 3. उपाचार्य, स्नातकोत्तर / स्नातक महाविद्यालय | 9 कालांश प्रति सप्ताह  |
| 4. स्नातकोत्तर कक्षा के हैड                   | 14 कालांश प्रति सप्ताह |
| 5. स्नातकोत्तर कक्षा पढाने वाले व्याख्याता    | 16 कालांश प्रति सप्ताह |
| 6. स्नातक कक्षा पढाने वाले व्याख्याता         | 18 कालांश प्रति सप्ताह |

नोट:- सभी संकाय में प्रवेश लेने वाले छात्रों की पूर्ण सूविधा की सूचना भेजे।

टिप्पणी :-

- 22 या 22 से अधिक कालांश होने पर ही विषय के अतिरिक्त प्रवक्ता की मांग की जा सकती है।
- कार्यभार में प्रायोगिक घंटों के 2/3 भाग को ही कार्यभार के रूप में माना जावेगा।
- महाविद्यालय में प्रवक्ताओं का ठहराव 5 घंटे 15 मिनट से प्रतिदिन से कम नहीं होना चाहिए।
- प्रत्येक कालांश 1 घंटे का माना जावेगा।

प्राचार्य के हस्ताक्षर  
मय सील

(4)

## शैक्षणिक कार्यभार सत्र 2009-10 का विवरण

क्रं. स	संकाय व विषय	कार्यभार कालांश	कार्यरत व्याख्याताओं द्वारा मापदण्ड के अनुसार सम्पादित कालांश	अतिरिक्त कालांश	मापदण्ड के अनुसार व्याख्याताओं की आवश्यकता	कुल स्वीकृत पद	रिक्त पद	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्राचार्य  
राजकीय महाविद्यालय .....

कक्षावार (क्लास वाईज) समय सारणी  
राजकीय महाविद्यालय.....

कक्षा	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI

प्राचार्य  
राजकीय महाविद्यालय .....

कक्षावार (रुम वाईज) समय सारणी  
राजकीय महाविद्यालय.....

कक्षा	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI

प्राचार्य  
राजकीय महाविद्यालय .....